

University of Rajasthan, Jaipur
Application Form For Session 2023-24
Three/Four Year Bachelor of Computer Application
University Maharaja College

Form No.
111456



Personal Information

1.(i) Applicant's Name : **RAJESH**
(ii) Student NetID : **UG23723990**
2.(i) Mother's Name : **SUMAN**
(ii) Father's Name : **SAHAB RAM**



3. Date of Birth : **2004-10-14** 4. Gender : **Male** 5. Age as on 01-07-2023 : **18 Years**

6. Caste Category : **SC** 7. Other Spl Cat : **NA** 8. Weightage. Cat. : **NA**

9. Locality : **Rural** 10. Annual Income : **Less than 1 Lac**

11. Mobile No.: **7690902508** 12. Nationality : **Indian** 13. Email ID : **rajeshnyol76@gmail.com**

14. Permanent Address : **WARD NO.10 PANDITAWALI**
PILIBANGA 15. Mailing Address : **WARD NO.10 PANDITAWALI**
PILIBANGA

16. Religion : **Hindu**

17. Educational Qualification :

S.No.	Name of Exam.	Board/University	Stream	Year	Max. Mark	Marks Obt	%
1.	Secondary	Rajasthan Board		2021	600	561	93.50
2.	Sr. Secondary	Rajasthan Board	Science	2023	500	402	80.40

UG23723990

18. Bank Account Information

Account Number	38583865221	IFS Code	SBIN0010455
Account Holder Name	RAJESH KUMAR	MICR Code	335002014
Bank Name	S B I	Branch Name	PILIBANGA

19. Fee Detail

Amount	Transaction No.	Transaction Date	Transaction Mode
Rs. 150/-	230623152552562	Jun,23,2023 05:51:15 PM	DEBIT_CARD

Place:

Signature of the Applicant

Date:

Board of Secondary Education Rajasthan
Result: Senior Secondary Examination, 2023
Detailed Mark Sheet

Roll No.	School
2767067	(1310152) GOVT SR SEC SCH,RAWATSAR

Examinee Name : RAJESH

Father's Name : SAHAB RAM

Mother's Name : SUMAN

Subject	Marks Obtained						
	TH1	TH2	SS1	SS2	TH+SS	PR	TOTAL
HINDI(COMP.)	069		020		089		089
ENGLISH(COMP.)	064		020		084		084
PHYSICS	030		014		044	030	074
CHEMISTRY	029		014		043	030	073
MATHEMATICS	062		020		082		082D

Total marks obtain: 402

Percentage: 80.40%

Result: First Division

Disclaimer: Board of Secondary Education, Ajmer is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the results being published on Net. The results published on net are for immediate information to the examinees. These cannot be treated as original mark sheets. Original mark sheets have been issued by the Board separately.

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा, (हनुमानगढ़)
जिला - हनुमानगढ़
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /23529607846
दिनांक: 17-05-2023
आवेदक का आधार नम्बर : 765505230139
आवेदक/परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या : 4887685164

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश पुत्र/पुत्री श्री साहब राम, माता का नाम - श्रीमती सुमन ,
गांव/नगर वार्ड न.10 पंडितावाली, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जिला/डिवीजन हनुमानगढ़ राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र राजस्थान में **46 MEGHVAL (46 मेघवाल)** जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के
अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडेचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री राजेश गांव/नगर वार्ड न.10 पंडितावाली, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जिला / डिवीजन हनुमानगढ़
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है ।

नोट:

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में हैं ।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है ।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है । दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा ।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे ।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित हैं । अतः सभी कार्यों के लिये मान्य हैं ।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 230547032377

उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा, हनुमानगढ़

Signature valid

Digitally signed by
SANJANA JOSHI
Date: 23.05.2023 14:06:01

